

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
ऊधम सिंह नगर

चतुर्थ बोर्ड बैठक का
कार्यवृत्त

तिथि : 28 फरवरी (दिन - बृहस्पतिवार)

समय: पूर्वान्ह 11:00 बजे

स्थान : सर्किट हाउस काठगोदाम
जनपद - नैनीताल

दूरभाष : 05944-250152

email. Id. udausnagar@gmail.com

आज दिनांक:- 28.02.2019 दिन गुरुवार को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर की चतुर्थ बोर्ड बैठक सर्किट हाउस, काठगोदाम जिला- नैनीताल में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1. श्री राजीव रौतेला, आयुक्त कुमाऊ मण्डल, नैनीताल। -अध्यक्ष
2. श्री देव कृष्ण तिवारी, उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर। -उपाध्यक्ष
3. श्री नीरज खैरवाल, जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर। -सदस्य
4. श्री एस0के0 पंत, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून। -सदस्य
पदेन
5. श्री बी0पी0 काण्डपाल, मुख्य कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर।
(सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के प्रतिनिधि)
पदेन -सदस्य
6. श्री एस0के0 पंत, अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल निगत, नैनीताल
(प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, देहरादून
के प्रतिनिधि) -सदस्य
पदेन
7. श्री जय भारत सिंह, नगर आयुक्त, नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर। -सदस्य
पदेन

बैठक के संचालन एवं सहयोग हेतु उपस्थिति:-

1. श्री जय भारत सिंह, सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर।
2. श्री हिमांशु खुराना, संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, काशीपुर।
3. श्री एस0एम0 श्रीवास्तव, सहयुक्त नियोजक, कुमायूँ सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हल्द्वानी।
4. श्री बी0एस0 नेगी, अधीक्षण अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर।
5. श्री आनन्द राम, अधिशासी अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर।
6. श्री हेमन्त रावत, अवर अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर।
7. श्री अशोक कुमार, अवर अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर।
8. श्री सतपाल सिंह, मुख्य सहायक जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर।

सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों का अभिवादन करते हुये प्राधिकरण की चतुर्थ बोर्ड बैठक प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् प्रस्तावित बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं का क्रमशः प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ किया गया। एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

विषय क्रमांक-04.01

तृतीय बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर की तृतीय बोर्ड बैठक दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 की कार्यवाही कार्यालय पत्र दिनांक 01.11.2018 से बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की गयी। प्रेषित कार्यवाही के सम्बंध में किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः तृतीय बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

विषय क्रमांक-04.02- उधमसिंह नगर विकास प्राधिकरण बोर्ड की तृतीय बोर्ड बैठक दिनांक:- 11.10.2018 की अनुपालन आख्या संलग्न है।

अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण की पूर्व बैठकों में दिए गए निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में रोष व्यक्त किया गया तथा यह निर्देश दिए गए कि भविष्य में निर्देशों का अनुपालन समयसीमा अंतर्गत सुनिश्चित किया जाये।

अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण की वेबसाइट को हिन्दी में तथा वेबसाईट मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून की वेबसाईट के अनुरूप एक सप्ताह में तैयार की जाय।

प्राधिकरण में कार्मिकों की कमी के दृष्टिगत स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की तथा अभियंत्रण खण्ड में विभिन्न अभियंत्रण विभागों से प्राधिकरण के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में अवर अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्त/सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव एक सप्ताह में तैयार करते हुये शासन को स्वीकृति हेतु संदर्भित किया जाय।

प्राधिकरण में लम्बित आवेदित भवन मानचित्रों का त्वरित निस्तारण किया जाय।

जो क्षेत्र जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर के गठन के उपरान्त प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित हुये हैं, उन क्षेत्रों में 2000.00 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्ड क्षेत्रफल में हुये बिना अनुमति के किये गये निर्माणों को चिन्हित करते हुये गठित समिति को निस्तारण हेतु प्रेषित की जाय।

पूर्व में लिये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत निर्मित क्षेत्र का निर्धारण यथाशीघ्र कराते हुये अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

उपाध्यक्ष/सचिव को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण की प्रत्येक माह में समीक्षा बैठक सुनिश्चित की जाय तथा कृत कार्यवाही की सूचना अध्यक्ष को प्रेषित की जाय।

विषय क्रमांक-04.03 - जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर का वित्तीय वर्ष 2018-19 का वास्तविक आय-व्यय दिनांक 31.03.2019 तक एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तावित बजट के आय-व्यय का विवरण।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर का वर्ष 2018-19 हेतु प्रस्तावित बजट के अन्तर्गत 6.00 करोड़ आय एवं 4 करोड़ 16 लाख 95 हजार व्यय का प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष दिनांक:- 31.01.2019 तक कुल वास्तविक आय 4.04 करोड़ रु० तथा व्यय 50.35 लाख हुआ है। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कुल आय 11.32 करोड़ एवं कुल व्यय 3.47 करोड़ के व्यय का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

कार्यवाही:- प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तुत बजट का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक -04.04 — भवन मानचित्र से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों के निर्धारण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 297/V-2012/06(आ0)2016/2018 दिनांक 10.09.2018 को कतिपय संशोधन के साथ अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या 297/V.2012/06(आ0)2016/2018 दिनांक 10-09-2018 द्वारा राज्य के विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्र से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश के साथ संलग्न विवरण के टिप्पणी बिन्दु संख्या 05 के अनुसार शुल्कों में यदि स्थानीय परिस्थिति के अनुसार कोई परिवर्तन की आवश्यकता हो तो अपने बोर्ड से प्रस्ताव शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। शासनादेश में भू-उपविभाजन शुल्क निर्मित एवं विकसित क्षेत्र में 01 प्रतिशत तथा अविकसित क्षेत्र में 05 प्रतिशत लिये जाने का प्राविधान किया गया है। शासनादेश में व्यवसायिक निर्माणों हेतु देय उपविभाजन शुल्क का कोई उल्लेख नहीं है।

उक्त शासनादेश लागू होने से पूर्व जिला विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय भवन निर्माण में उपविभाजन नगर निगम सीमा में विकसित क्षेत्र में 1% व अन्य अविकसित क्षेत्र में 5% तथा व्यवसायिक भवन निर्माण हेतु 2% भवन निर्माण की स्वीकृति पर लिए जाते रहे हैं अतः ऐसी स्थिति में उक्त शासनादेश में निर्धारित उपविभाजन शुल्कों के दृष्टिगत विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर द्वारा संशोधित उपविभाजन शुल्क का निर्धारण निम्नवत प्रस्तावित है :-

क्र०सं०	शासनादेश संख्या 297 दिनांक 10-09-2018 द्वारा निर्धारित भू-उप विभाजन शुल्क की दर	जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित दर			
		आवासीय दर	व्यवसायिक दर	आवासीय दर	व्यवसायिक दर
01	निर्मित / विकसित	01 प्रतिशत	—	01 प्रतिशत	02 प्रतिशत
02	अविकसित	05 प्रतिशत	—	05 प्रतिशत	07 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर चर्चा की गई, चर्चा में निर्णय लिया गया कि शासनादेश के अनुसार ही कार्यवाही की जाए तथा पूर्व बोर्ड बैठक में स्वीकृत उपविभाजन दरों का प्रस्ताव शासन को विचारार्थ सदर्भित किया जाय।

विषय क्रमांक- 04.05

एकल आवास, व्यावसायिक भवनों, आवासीय भू-उपयोग में व्यवसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओपीडी/पैथोलोजी लैब/डाइग्नोस्टिक सेन्टर/चाइल्ड केयर/नर्सरी स्कूली कैच एवं प्ले ग्रुप को एक बार समाधान योजना के तहत शमन/विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-41/V-2-2017-105 (आ0)/2013टी0सी0 आवास अनुभाग-2 दिनांक 15-01-2019 द्वारा उक्त योजना को दिनांक 15-01-2019 से प्रारम्भ कर दिनांक 31-03-2019 तक पूर्ण किया जाना है। शासन द्वारा प्रख्यापित नियमावली में शमन सम्बन्धी पूर्व की व्यवस्थाओं के सापेक्ष संशोधित प्राविधान प्रस्तावित करते हुये आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। उक्त नियमावली के नियम संख्या "2-(5) अन्य प्राविधान" के तहत प्रस्तर-7 में निर्देश दिये गये हैं कि उपरोक्त उपविधि के प्रावधान/मानकों का विकास प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुये अंगीकार किया जायेगा तथा स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत यदि इनमें किसी परिष्कार की आवश्यकता हो, तो बोर्ड की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त नियमावली में पूर्व की व्यवस्थाओं सम्बन्धी नियम शमन उपविधि, 1998/2003 के अनुसार है, जो जिला विकास प्राधिकरण के द्वारा अंगीकृत किया गया है। (परिशिष्ट-04)

(Handwritten signature)

1- एकल आवासीय एवं व्यवसायिक

क. सं.	मानक	एकल आवासीय		व्यवसायिक		जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर में प्रचलित व्यवस्था
		पूर्व की व्यवस्था	संशोधित प्राविधान	पूर्व की व्यवस्था	संशोधित प्राविधान	
1	पृष्ठ सैट बैक	एकल आवासीय भवन में पृष्ठ सैट बैक में 40 प्रतिशत निर्माण की अनुमन्यता है जिसकी ऊँचाई 07 मी0 तक अनुमन्य है।	40 प्रतिशत निर्माण 10 मी0 तक की ऊँचाई तक अनुमन्य होगी अर्थात् अतिरिक्त 03 मी0 ऊँचाई अनुमन्य होगी।	पृष्ठ सैट बैक में 40 प्रतिशत तक के क्षेत्र को शमनित किया जा सकता है। यदि भवन की ऊँचाई 07 मी0 है तो 60 प्रतिशत तक क्षेत्र को शमनीत किया जा सकता है।	पूर्व प्राविधान के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत	प्राधिकरण में प्रचलित शमन उपविधि 1998 के अन्तर्गत अनुमन्य अच्छादन के अतिरिक्त 10 प्रतिशत क्षेत्र पृष्ठ सैटबैक में प्रशमन की सीमा निर्धारित है, परन्तु वर्तमान शासनादेश में सैट बैक के अन्तर्गत किये गये निर्माण की शमन सीमा कम कर दी गई है, अतः पृष्ठ सैट बैक की 40 प्रतिशत अनुमन्यता के अतिरिक्त 10% शमन किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है।

चूँकि समाधान योजना समयबद्ध है, अतः जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में पृष्ठ सैटबैक प्रशमन के सम्बन्ध में प्रचलित शमन उपविधि 1998 एवं 2003 की व्यवस्था के अनुसार ही प्रकरण निस्तारित किये जाने की व्यवस्था है, उक्त सीमा तथा प्रस्तावित संशोधन के साथ उक्त उपविधि को अंगीकार किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:- प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि एकल समाधान योजना हेतु निर्गत शासनादेश को अंगीकृत करते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाये। प्रस्तुत संशोधनों के प्रस्ताव को सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी से परीक्षण कराते हुए संशोधित प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु शासन को संदर्भित किया जाये।

विषय क्रमांक-04.06

प्रदेश में आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्राधिकरणों में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के शमन शुल्क की दरों का पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में

उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 40/V-2-2019-83(आ0)/ 2018 दिनांक 10 जनवरी, 2019 द्वारा आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के शमन शुल्क की दरों में दिनांक 01-04-2019 से संशोधन किया गया है, जिसकी सारिणी संलग्न है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 में शमन शुल्क की पुनरीक्षित दरों को अंगीकृत करते हुये लागू किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। अतः उक्त शासनादेश में वर्णित शमन शुल्क की पुनरीक्षित दरों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में लागू किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(Handwritten signature)

कार्यवाही:- सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव को अंगीकृत करते हुये तदनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त हेतु किसी प्रकार के संशोधन की यदि आवश्यकता हो तो प्रस्ताव परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय ताकि सहमति उपरान्त शासन को संदर्भित किया जा सके।

विषय क्रमांक:-04. 07

शासनादेश संख्या- 39/V-2-2019-55(आ0)/2006-टी0सी0 दिनांक 05 फरवरी, 2019 उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011(संशोधन-2015) में निहित मानकों में संशोधन को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग-2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-39/V-2-2019-55 (आ0)/ 2006-टी0सी0 दिनांक 05 फरवरी, 2019 जो कि उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन-2015) में निहित मानकों में कतिपय संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में है। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या- 04 में उल्लेखित है कि उक्त संशोधित प्राविधान सम्बन्धित प्राधिकरणों के बोर्ड से अंगीकरण के उपरान्त ही लागू होंगे।

अतः उपरोक्तानुसारशासनादेश संख्या- 39/V-2-2019-55 (आ0)/2006-टी0सी0 दिनांक 05 फरवरी, 2019 को अंगीकृत किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्यवाही:-

सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव को अंगीकृत करते हुये शासनादेश में प्राविधानित मानकों के अनुरूप निर्धारण हेतु सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर, सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी एवं अधीक्षण अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर को नामित किये जाने का निर्णय लिया गया। मानकों के अनुरूप निर्धारित करते हुये प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रमांक -04.08

श्रीमती रचना पुत्री जे0पी0 रस्तोगी निवासी मोहल्ला- खालसा, काशीपुर द्वारा ग्राम महेशपुरा के खसरा संख्या 119 मिन, 120 मिन, 121 मिन कुल रकवा 4291.60 वर्गमीटर में आई क्लीनिक व आवास निर्माण हेतु मानचित्र के सम्बन्ध में।

श्रीमती रचना पुत्री जो0पी0 रस्तोगी निवासी मोहल्ला- खालसा, काशीपुर द्वारा ग्राम महेशपुरा के खसरा संख्या 119 मिन, 120 मिन, 121 मिन कुल रकवा 4291.60 वर्गमीटर में आई क्लीनिक व आवास निर्माण हेतु मानचित्र का प्रस्ताव दिया गया है। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग आवासीय निर्मित के अन्तर्गत है। उपरोक्त भवन मानचित्र में निम्न विभागों की अनापत्ति प्राप्त है, जो पत्रावली में संलग्न है।

1- सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी, 2-विद्युत विभाग की अनापत्ति, 3-नगर निगम काशीपुर की अनापत्ति एवं 4-अग्नि शमन, विभाग की अनापत्ति।

उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 संशोधित 2015 के अनुसार प्रस्तावित मानचित्र का परीक्षण निम्नानुसार है:-

विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	मानचित्रानुसार
न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर	4291.60 वर्गमीटर
विद्यमान मार्ग की अधिकृत न्यूनतम चौड़ाई	9.0 मीटर	9.0 मीटर
सेटबैक्स	अग्र	9.0 मीटर
	पृष्ठ	6.0 मीटर
	पार्श्व-1	4.50 मीटर
	पार्श्व-2	4.50 मीटर
भू-आच्छादन	60 प्रतिशत	32.47 प्रतिशत
एफ0ए0आर0	1.50	0.65
पार्किंग	41 ई0सी0एस0	48 ई0सी0एस0

उक्त स्थल महायोजना के आवासीय के अन्तर्गत दर्शाया गया है, निर्मित आवासीय क्षेत्र में क्लीनिक निर्माण हेतु अनुमति प्राधिकरण बोर्ड से अनुमय उपयोग के अन्तर्गत आता है। प्रस्तावित स्थल के पूर्व के 9 मी० चौड़ा मार्ग तत्पश्चात गिरीताल मंदिर एवं गिरीताल सरोवर स्थित है। पश्चिम की ओर आंशिक भाग में समाधि स्थल एवं अन्य का भूखण्ड तथा आवासीय भवन, उत्तर एवं दक्षिण दिशा में आवासीय भवन निर्मित है। आस-पास के व्यक्तियों को उक्त निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्तुत प्रस्ताव जो क्लीनिक एवं आवास निर्माण हेतु प्रस्तुत किया गया है, भवन उपविधि के अनुसार है एवं अनुमति दिये जाने योग्य है।

प्रस्तुत प्रस्ताव काशीपुर महायोजना 2011 के अनुसार आवासीय निर्मित क्षेत्र भू-उपयोग के अन्तर्गत है। आवासीय निर्मित भू-उपयोग के अन्तर्गत आईक्लीनिक अस्पताल की स्वीकृति महायोजना के क्षेत्रीय विनियमन के अनुसार प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति के पश्चात दिये जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:- सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव पर सहमति इस शर्त के साथ प्रदत्त की जाती है कि भविष्य में स्वीकृत मानचित्र से इतर कोई विस्तार/विचलन तथा प्रयोजन परिवर्तन स्वीकृत/शमन नहीं किया जा सकेगा। उक्त प्रतिबन्ध को स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृति पत्र में उल्लिखित किया जाय।

विषय क्रमांक -04.09

श्रीमती राममूर्ति पत्नी श्री उमराव सिंह निवासी-बाजपुर रोड, काशीपुर द्वारा ग्राम खड़कपुर देवीपुरा संख्या 232 मिन, 233/2 मिन कुल रकवा 1539.72 वर्गमीटर नेट भूखण्ड क्षेत्रफल 1313.79 वर्गमीटर में नर्सिंग होम के निर्माण के सम्बन्ध में।

श्रीमती राममूर्ति पत्नी श्री उमराव सिंह निवासी-बाजपुर रोड, काशीपुर द्वारा ग्राम खड़कपुर देवीपुरा संख्या 232 मिन, 233/2 मिन कुल रकवा 1539.72 वर्गमीटर नेट भूखण्ड क्षेत्रफल 1313.79 वर्गमीटर में नर्सिंग होम के निर्माण हेतु मानचित्र का प्रस्ताव दिया गया है। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग काशीपुर महायोजना-2011 के अनुसार आवासीय मध्यम घनत्व के अन्तर्गत है। प्रस्तुत प्रस्तावित मानचित्र पर निम्न विभाग की अनापत्ति प्राप्त है, जो पत्रावली में संलग्न है।

1- सहयुक्त नियोजक, कुमारू सम्भागीय नियोजन खण्ड हल्द्वानी।

उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 संशोधित 2015 के अनुसार प्रस्तावित मानचित्र का परीक्षण निम्नानुसार है:

विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	मानचित्रानुसार
न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल	1000 वर्गमीटर	1313.79 वर्गमीटर
विद्यमान मार्ग की अधिकृत न्यूनतम चौड़ाई	12.0 मीटर	45.0 मीटर महायोजना मार्ग
सेटबैक्स	अग्र	7.50 मीटर
	पृष्ठ	4.50 मीटर
	पार्श्व-1	4.50 मीटर
	पार्श्व-2	3.0 मीटर
भू-आच्छादन	50 प्रतिशत	34.97 प्रतिशत
एफ0ए0आर0	1.50	0.61
पार्किंग	16 ई0सी0एस0	16 ई0सी0एस0

स्थल के आस-पास निवासियों द्वारा उक्त निर्माण से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु स्थल के मध्य से एच0टी0 लाईन गुजर रही है, जिस कारण निर्माण 02 ब्लॉक में प्रस्तावित किया गया है। दोनों ब्लॉकों के मध्ये लाईन से दूरी-7.04मी0 एवं ब्लॉक बी से 3.43मी0 जो भवन उपविधि के 4.4(11) के अनुसार सही है। स्थल के मध्ये दो फलदार वृक्ष हैं, जिनकी अनापत्ति अन्य अग्निशमन अधिकारी, विद्युत वितरण बोर्ड, जल संस्थान, तहसीलदार काशीपुर की अनापत्तियों के साथ आवेदक को प्रस्तुत करनी होगी।

प्रस्तुत प्रस्ताव जो नर्सिंग होम के निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है, भवन उपविधि के अनुसार है एवं अनुमोदन किये जाने योग्य है। चूँकि प्रस्तुत प्रस्ताव की स्थल काशीपुर महायोजना-2011 के अनुसार आवासीय मध्यम घनत्व भू-उपयोग के अन्तर्गत है। जिसमें क्लीनिक भवन निर्माण की स्वीकृति महायोजना के क्षेत्रीय विनियमन के अनुसार प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में अनुमति के पश्चात दिये जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:- सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव पर सहमति इस शर्त के साथ प्रदत्त की जाती है कि भविष्य में स्वीकृत मानचित्र से इतर कोई विस्तार/विचलन तथा प्रयोजन परिवर्तन स्वीकृत/शमन नहीं किया जा सकेगा। उक्त प्रतिबन्ध को स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृति पत्र में उल्लिखित किया जाय।

विषय कमांक -04.10

श्रीमती विमलेश पत्नी श्री स्व0 श्री ब्रह्म सिंह, निवासी बाजपुर रोड काशीपुर द्वारा ग्राम खड़कपुर देवीपुरा के खसरा संख्या 324 मिन रकवा 142.38 वर्गमीटर में व्यवसायिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में।

श्रीमती विमलेश पत्नी श्री स्व0 श्री ब्रह्म सिंह, निवासी बाजपुर रोड काशीपुर द्वारा ग्राम खड़कपुर देवीपुरा के खसरा संख्या 324 मिन रकवा 142.38 वर्गमीटर में व्यवसायिक भवन निर्माण हेतु मानचित्र का प्रस्ताव दिया गया है। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग आवासीय मध्यम घनत्व है। प्रस्तुत प्रस्तावित मानचित्र पर निम्न विभाग की अनापत्ति प्राप्त है, जो पत्रावली में संलग्न है।

- 1- सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी।
- 2- अग्नि शमन अधिकारी, काशीपुर।
- 3- जल संस्थान, काशीपुर।
- 4- विद्युत वितरण खण्ड काशीपुर।

(Handwritten signature)

5- तहसील काशीपुर।

उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 संशोधित 2015 के अनुसार प्रस्तावित मानचित्र का परीक्षण निम्नानुसार है:

विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	मानचित्रानुसार	टिप्पणी
न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल	125 वर्गमीटर	142.38 वर्गमीटर	
विद्यमान मार्ग की अधिकृत न्यूनतम चौड़ाई	9.00 मीटर	13.72 मीटर	
सेटबैक्स	अग्र	4.50 मीटर	4.50 मीटर
	पृष्ठ	—	—
	पार्श्व-1	—	—
	पार्श्व-2	—	—
भू-आच्छादन	65 प्रतिशत	64.90 प्रतिशत	
एफ0ए0आर0	1.50	0.69	
पार्किंग	3 ई0सी0एस0	3 ई0सी0एस0	

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव जो व्यवसायिक भवन के निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है, भवन उपविधि के अनुसार है एवं अनुमोदन किये जाने योग्य है।

चूँकि प्रस्तुत प्रस्ताव काशीपुर महायोजना-2011 के अनुसार आवासीय मध्यम घनत्व भू-उपयोग के अन्तर्गत है। महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार आवासीय मध्यम घनत्व भू-उपयोग के अन्तर्गत व्यवसायिक निर्माण की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति के पश्चात दिये जाने का प्राविधान है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:- सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव पर सहमति इस शर्त के साथ प्रदत्त की जाती है कि भविष्य में स्वीकृत मानचित्र से इतर कोई विस्तार/विचलन तथा प्रयोजन परिवर्तन स्वीकृत/शमन नहीं किया जा सकेगा। उक्त प्रतिबन्ध को स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृति पत्र में उल्लिखित किया जाय।

विषय कमांक -04.11

श्री अंकुर अग्रवाल पुत्र श्री शिव कुमार अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत मानचित्र जो ग्राम-लक्ष्मीपुर पट्टी, तहसील काशीपुर के खसरा संख्या 217 मिन, रकवा 0.0101 हैक्टेयर (सेलडीड के अनुसार) खतौनी के अनुसार 970 वर्गमी0 में क्लीनिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में।

श्री अंकुर अग्रवाल पुत्र श्री शिव कुमार अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत मानचित्र जो ग्राम-लक्ष्मीपुर पट्टी, तहसील काशीपुर के खसरा संख्या 217 मिन, रकवा 0.0101 हैक्टेयर (सेलडीड के अनुसार) खतौनी के अनुसार 970 वर्गमी0 में क्लीनिक भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित है। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग आवासीय निर्मित के अन्तर्गत है। प्रस्तुत प्रस्तावित मानचित्र पर निम्न विभाग की अनापत्ति प्राप्त है, जो पत्रावली में संलग्न है।

- 1- सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी।
- 2- तहसीलदार, काशीपुर।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्गखण्ड, लो0नि0वि0 हल्द्वानी।



- 4- अग्नि शमन विभाग।
5- विद्युत विभाग।

उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 संशोधित 2015 के अनुसार प्रस्तावित मानचित्र का परीक्षण निम्नानुसार है:-

विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	मानचित्रानुसार
न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर	790.80 वर्गमीटर
विद्यमान मार्ग की अधिकृत न्यूनतम चौड़ाई	12.00 मीटर	45.00 मीटर महायोजना मार्ग
सेटबैक्स		
अग्र	6.00 मीटर	6.00 मीटर
पृष्ठ	4.50 मीटर	4.50 मीटर
पार्श्व-1	3.60 मीटर	3.60 मीटर
पार्श्व-2	3.60 मीटर	3.60 मीटर
भू-आच्छादन	60 प्रतिशत	39.85 प्रतिशत
एफ0ए0आर0	1.80	0.63
पार्किंग	12 ई0सी0एस0	13 ई0सी0एस0

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि क्लीनिक भवन के निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है, भवन उपविधि के अनुसार है, एवं अनुमोदन किये जाने योग्य है। स्थल के अग्र भाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-74 पृष्ठ भाग अन्य भू-खण्ड, पार्श्व-1 में 4.01मी0 चौड़ा चकमार्ग तथा पार्श्व-2 में अन्य का भू-खण्ड है। प्रस्तावित स्थल काशीपुर मुरादाबाद मोटर मार्ग के किनारे स्थित है। आस-पास के व्यक्तियों द्वारा सहमति दी गयी, परन्तु यह भी कहा गया कि निर्माण करते समय यातायात आवागमन में व्यवधान उत्पन्न न हो।

चूँकि प्रस्तुत प्रस्ताव की स्थल काशीपुर महायोजना-2011 के अनुसार आवासीय निर्मित भू-उपयोग के अन्तर्गत है, महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार आवासीय निर्मित भू-उपयोग के अन्तर्गत क्लीनिक भवन के निर्माण की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति के पश्चात दिये जाने का प्राविधान है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:- सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव पर सहमति इस शर्त के साथ प्रदत्त की जाती है कि भविष्य में स्वीकृत मानचित्र से इतर कोई विस्तार/विचलन तथा प्रयोजन परिवर्तन स्वीकृत/शमन नहीं किया जा सकेगा। उक्त प्रतिबन्ध को स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृति पत्र में उल्लिखित किया जाय।

विषय क्रमांक - 04.12

श्री रोहितास हरिभाऊ मोरे पुत्र श्री हरिभाऊ नारायण मोरे, श्री रंजीत रोहितास मोरे पुत्र श्री रोहितास हरिभाऊ मोरे, अभिजीत हरिदास मोरे पुत्र श्री रोहितास हरिभाऊ मोरे के ग्राम लालपुर तहसील रुद्रपुर के खसरा नं0 114 मिन, 117 मिन, 120 मिन रकवा 13641.96 वर्गमी0 में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मानचित्र के सम्बन्ध में।

आवेदकगण द्वारा ग्राम लालपुर के खसरा नं0 114 मि0, 117 मि0, 120 मि0 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स निर्माण की अनुमति चाही गयी है। प्रश्नगत भू-खण्ड रुद्रपुर महायोजना 2031 में औद्योगिक भू-उपयोग के अन्तर्गत है। जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार इस भू-उपयोग में 24.00 मी0 चौड़े पहुँच मार्ग पर बहुमंजिले व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण की प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति के उपरान्त स्वीकृति दी जा सकती है। प्रस्तावित स्थल 60 मी0 चौड़े महायोजना मार्ग से सटा है, अतः बोर्ड की अनुमति उपरान्त प्रस्तावित निर्माण की अनुमति दी जा सकती है।

प्रस्तावित मानचित्र में बेसमेण्ट में पार्किंग, लोअर भूतल, उपर भूतल एवं प्रथम तल पर दुकानें, द्वितीय तल पर आफिस तथा तृतीय तल पर रेस्टोरेण्ट एवं आफिस के प्रस्ताव दिये गये हैं। प्रस्तावित मानचित्र में सैटबैक, भू-आच्छादन, एफ0ए0आर0 नियमानुसार है। मानचित्र की जाँच सहयुक्त नियोजक हल्द्वानी द्वारा की गई है। अन्य बॉछित विभागों अग्निशमन अधिकारी, जल संस्थान, विद्युत विभाग, एन0ए0आई0 विभाग एवं तहसीलदार रुद्रपुर से अनापत्ति प्राप्त है, जो संलग्न है।

रुद्रपुर महायोजना-2031 में प्रस्तावित स्थल औद्योगिक भू-उपयोग के अन्तर्गत है। जोनिंग रेगुलेशन के बिन्दु संख्या 6.1.3(ख)(22) में नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति उपरान्त अनुमन्य उपयोग के अन्तर्गत प्राविधानित है कि " 24 मी0 एवं इससे अधिक चौड़े एवं वर्तमान मार्गों के मार्गाधिकार से भूखण्ड को पहुँच उपलब्ध होने की स्थिति में बहुमंजिलीय व्यवसायिक भवन, मल्टी प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट अनुमन्य होंगे। ऐसे भूखण्ड को न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्गमी0 अनुमन्य होगा।" प्रस्तावित स्थल को 60 मी0 चौड़े मार्ग से पहुँच उपलब्ध है। भूखण्ड क्षेत्रफल 6707.07 वर्गमी0 है।

प्रस्तावित मानचित्र की जाँच की गयी। मानकों के अनुसार जाँच निम्नानुसार है:-

मानक	आवश्यक	प्रस्तावित
पहुँच मार्ग	24.00 मी0 न्यूनतम	60 मी0 महायोजना मार्ग
भू-आच्छादन	40 प्रतिशत अधिकतम	17.10 प्रतिशत
एफ0ए0आर0	2.20 अधिकतम	0.61
फ्रन्ट सेटबैक	12.00 मी0	12.00 मी0
साईड-1 सेटबैक	6.00 मी0	9.15 मी0
साईड-2 सेटबैक	6.00 मी0	9.15 मी0
रेयर सेटबैक	6.00 मी0	9.00 मी0
पार्किंग एरिया	5250.00 वर्गमी0	5647.03 वर्गमी0

प्रस्तावित स्थल के आस-पास स्थित परिसरों के भू-सवामियों से प्रस्तावित निर्माण के सम्बन्ध में पूछताछ की गई। महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा के एच0आर0 हेड श्री अजीत कुमार ने मौखिक रूप से बताया कि प्रस्तावित स्थल एवं निर्माण से उनकी कम्पनी का कोई सम्बन्ध नहीं है। यूनिवर्सल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेण्ट प्रा0लि0 के जन सम्पर्क अधिकारी श्री मदन लाल द्वारा भी प्रस्तावित निर्माण के सम्बन्ध में मौखिक अनापत्ति व्यक्त की गई है। श्री जसपाल सिंह पुत्र श्री गुरमीत सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक गण द्वारा सरकारी गूल पर अतिक्रमण किया गया है, मामला न्यायालय द्वारा निस्तारित कर दिया गया है।

प्रस्तावित निर्माण की स्वीकृति दिये जाने से रुद्रपुर नगर के वाह्य क्षेत्र में व्यवस्थित व्यावसायिक परिसर उपलब्ध होगा, जिससे जन-सामान्य की आवश्यक वस्तुयें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी।

अतः उपरोक्तानुसार बोर्ड के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्यवाही:-प्रस्तावित पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव पर विधिक परीक्षण कराने उपरान्त आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।



विषय क्रमक- 04.13

श्री कामेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री किशन लाल अग्रवाल निवासी बाजपुर रोड, काशीपुर द्वारा ग्राम सरबरखेड़ा तहसील-काशीपुर के खसरा संख्या 938/1/2, 939/2, 940/2, 939/2/3, 938/3, 940/2 व 938/4 कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 5240 वर्गमीटर में अस्पताल (50 बेड तक) व आवास निर्माण के सम्बन्ध में।

श्री कामेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री किशन लाल अग्रवाल निवासी बाजपुर रोड, काशीपुर द्वारा ग्राम सरबरखेड़ा तहसील-काशीपुर के खसरा संख्या 938/1/2, 939/2, 940/2, 939/2/3, 938/3, 940/2 व 938/4 कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 5240 वर्गमीटर में अस्पताल (200 बेड तक) व आवास निर्माण हेतु शमन मानचित्र एवं शमन प्रार्थना पत्र एकल समाधान योजना के अन्तर्गत धनांक 24,00,000.00 रु० जमा करते हुये प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग आवासीय निम्न घनत्व भू-उपयोग के अन्तर्गत है। पूर्व में उपरोक्त भवन के प्रस्तावित मानचित्र पर निम्न विभागों की अनापत्ति प्राप्त है, जो पत्रावली में संलग्न है।

- 1-सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी, 2-अधिशाली अभियन्ता, 3-लो०नि०वि० काशीपुर, 4-उपखण्ड अधिकारी, वि०वि० खण्ड, काशीपुर, 5-अग्निशमन अधिकारी, काशीपुर।
उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 संशोधित 2015 के अनुसार शमन मानचित्र का परीक्षण निम्नानुसार है:-

विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	मानचित्रानुसार
न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल	4000 वर्गमीटर	5240 वर्गमीटर नेट भू-खण्ड क्षेत्रफल 5111.61 वर्गमीटर
विद्यमान मार्ग की अधिकृत न्यूनतम चौड़ाई	15.0 मीटर	50 मीटर महायोजना मार्ग
सेटबैक्स	अग्र	9.0 मीटर
	पृष्ठ	6.0 मीटर
	पार्श्व-1	4.50 मीटर
	पार्श्व-2	4.50 मीटर
भू-आच्छादन	40 प्रतिशत	42.98 प्रतिशत
एफ०ऐ०आर०	1.50	0.977
पार्किंग	99.95 ई०सी०एस०	100.11 ई०सी०एस०

प्रस्तुत शमन मानचित्र का स्थल काशीपुर महायोजना-2011 के अनुसार आवासीय न्यून घनत्व के अन्तर्गत है। महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार आवासीय निम्न घनत्व भू-उपयोग के अन्तर्गत हास्पिटल के निर्माण की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति के पश्चात् दिये जाने का प्रावधान है। निर्माण शमन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार शमनीय है। प्रकरण एकल समाधान योजना के अन्तर्गत शमन हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो तकनीकी दृष्टि से सही पाया गया है। बोर्ड की अनुमति के उपरान्त एकल समाधान योजना के अन्तर्गत प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा। अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष शमन/स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्यवाही:- सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा की गयी तथा निर्णय लिया गया कि बिना अनुमति के किये गये निर्माण तथा प्रस्तावित निर्माण से इतर किये गये विचलन हेतु आवश्यक विभागों से पुनः अनापत्ति प्राप्त करते हुये परीक्षण करने उपरान्त आगामी बोर्ड में प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रमांक-04.14

श्री हिमांशु वंसल पुत्र श्री ज्ञान चन्द्र वंसल द्वारा ग्राम रम्पुरा के खसरा संख्या 40/2 मिन 0.5947 हे०, खसरा संख्या 40/4/5 मिन रकवा 0.3552 हे० कुल रकवा 0.9499 हे० मध्ये 3561.20 वर्गमी० में नर्सिंग होम के निर्माण के मानचित्र के सम्बन्ध में।

श्री हिमांशु वंसल पुत्र श्री ज्ञान चन्द्र वंसल द्वारा ग्राम रम्पुरा तहसील रुद्रपुर के खसरा संख्या 40/2 मिन 0.5947 हे०, खसरा संख्या 40/4/5 मिन रकवा 0.3552 हे० कुल रकवा 0.9499 हे० मध्ये 3561.20 वर्गमी० में नर्सिंग होम के निर्माण की अनुमति हेतु आवेदन किया गया है, किन्तु निर्माण स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व कर लिया गया है। आवेदक द्वारा दिनांक 20.09.2016 को उक्त निर्माण को कम्पाउन्ड कर स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विभागों की अनापत्ति पत्रावली पर संलग्न है—
मुख्य शमन अधिकारी उधमसिंहनगर, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रपुर, तहसीलदार रुद्रपुर।

सहयुक्त नियोजक हल्द्वानी द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06.10.2016 द्वारा अवगत कराया गया कि मार्ग के मध्य से 30.00 मी० उपरान्त आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत नर्सिंग होम की स्वीकृति नियंत्रक प्राधिकारी/प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति उपरान्त दिये जाने तथा मानचित्र में संशोधन कर निस्तारण किये जाने बाबत लिखा गया है। परिक्षेत्रीय विनियमिन के बिन्दु संख्या 6.1.2.2 (ख) के क्रमांक 8 में हास्पिटल, हेल्थ सेण्टर तथा नर्सिंग होम नियन्त्रक प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुमन्य उपयोग के अन्तर्गत है। तकनीकी आपत्तियां दर्शायी गई। पुनः संशोधित मानचित्र पर सहयुक्त नियोजक द्वारा अपने पत्र दिनांक 30.01.2017 में द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा पूर्व में आख्या दी गई है। इस सम्बन्ध में अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें। आवेदक द्वारा संशोधित मानचित्र प्रस्तुत कर दिया गया है। इसमें भूखण्ड के दक्षिण तरफ के नाले से 5.00 मी० की दूरी तक किये गये निर्माण को ध्वस्त किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। उक्त निर्माण को ध्वस्त किये जाने के उपरान्त शेष निर्माण को कम्पाउन्ड किया जा सकता है।

प्रस्तावित निर्माण मुख्य पहुँच मार्ग रुद्रपुर-गदरपुर से सटा है तथा निर्माण मार्ग के मध्य से 100 मी० दूरी पर है। अतः समाधान उपरान्त स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:- विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव पर प्राधिकरण स्तर से पुनः परीक्षण कर आगामी बोर्ड में प्रस्तुत की जाए।

विषय क्रमांक 04.15

मानचित्र संख्या-165/2018 श्रीमती प्रेरणा चौहान पत्नी सुनील गौतम एवं शैलेश सिंह चौहान पुत्र नौबतसिंह द्वारा ग्राम बिगवाड़ा तहसील-रुद्रपुर के खसरा नं०-487/1मि० रकबा-2602.22 वर्गमी० पर वेसमेन्ट एवं भूतल एवं प्रथम तल पर स्वास्थ्य केन्द्र हेतु प्रस्तुत मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

श्रीमती प्रेरणा चौहान पत्नी सुनील गौतम एवं शैलेशसिंह चौहान पुत्र नौबतसिंह द्वारा ग्राम बिगवाड़ा तहसील-रुद्रपुर के खसरा नं०-487/1मि० रकबा-2602.22 वर्गमी० पर वेसमेन्ट एवं भूतल एवं प्रथम तल पर स्वास्थ्य केन्द्र हेतु प्रस्तुत मानचित्र स्वीकृति हेतु दिनांक 20.03.2018 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त मानचित्र पर आवश्यक विभागों से अनापत्ति/आपत्ति प्राप्त की गयी, जो पत्रावली में संलग्न है। मानचित्र की तकनीकी जाँच करने के उपरान्त मानचित्र सही पाये गये, तथा दिनांक 04.06.2018 को पत्रावली पर स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमादन किया गया, जिस

पर मु0-32,01,641.00रु0 आरोपित करते हुये अनुमोदन किया गया। आवेदक द्वारा शुल्क अधिक होने के कारण दिनांक 12.06.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें शुल्क कम करने का अनुरोध किया गया। शासन द्वारा शासनादेश संख्या-297/V-2 (आ0)/2016-2018 दिनांक 10 सितम्बर, 2018 द्वारा विभिन्न प्रकार के शुल्कों का निर्धारण करते हुये शासनादेश जारी किया गया। उक्त शासनादेश के परिपेक्ष में आवेदक के प्रस्तुत मानचित्रों की जाँच कर पुनः शुल्कों का निर्धारण करते हुये मु0-19,74,506.00 रु0 आरोपित किये गये। उसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा स्थल पर निर्माण जारी होने की दशा में 1,10,000.00रु0 शमन शुल्क आरोपित करते हुये कुल मु0-20,84,506.00रु0 जमा करने हेतु पुनः पत्रावली सचिव एवं उपाध्यक्ष महोदय के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व में निर्धारित दरों में कोई भिन्नता और त्रुटि अंकित न होने के कारण आवेदक द्वारा शुल्क कम करने की याचना का उल्लेख पत्रावली पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी एवं किन परिस्थितियों में समान स्तर पर संशोधित की जा रही है। यह स्पष्ट न होने के कारण पूर्व में तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदन के उपरान्त वर्तमान दरों में मु0-12,23,135.00रु0 की क्षति का उल्लेख करते हुये प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये गये।

अतः उक्त आदेशों के अनुपालन में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष उचित दिशा-निर्देश हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण पर उपाध्यक्ष अपने स्तर से निर्णय लेकर निस्तारण करें।

विषय क्रमांक 04.16

रुद्रपुर बस अड्डे के पुनर्विकास के अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रकरण तृतीय बोर्ड बैठक के विषय क्रमांक 3.10 में रखा गया था जिस पर बोर्ड द्वारा विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव बस अड्डे के मानचित्र के निस्तारण हेतु अध्यक्ष, जिला विकास प्राधिकरण, संयुक्त नियोजक, एवं CRS Infra Pvt Ltd. की एक बैठक आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार सुनिश्चित करते हेतु बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार आगामी बोर्ड बैठक में अवगत कराया जाये।

उपरोक्त निर्णय के क्रम में उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक-11.01.2019 को उधम सिंह नगर में CRS Infra Project Ltd के MD श्री इन्द्र कपूर एवं उनके आर्किटेक्ट, सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी, सचिव, अधि0अभि0 एवं अधी0अभि0 जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर के साथ बैठक हुई जिसमें परिवहन विभाग के मध्य हुये अनुबद्ध में दिये गये बिन्दुओं के अनुसार आपत्तियों का निस्तारण के साथ संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

उपरोक्त सहमति के आधार पर CRS Infra Project Ltd द्वारा संशोधित मानचित्र जिस पर महा प्रबन्धक (तकनीकी) उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय देहरादून के हस्ताक्षर हैं तथा उनके कार्यालय के पत्र सं0-17 HQ/X-बस-टर्मिनल/2019, दिनांक-16.01.2019 संलग्न था प्रस्तुत किया गया। उक्त मानचित्र परीक्षण उपरान्त सही पाये गये। रुद्रपुर बस अड्डे के पुनर्विकास के संबंध में आयुक्त/अध्यक्ष महोदय, जि0स्त0वि0प्रा0 उधम सिंह नगर द्वारा दिनांक-17.02.2019 को एक बैठक आहूत की गयी जिसमें प्रश्नगत प्रकरण पर चर्चा की गयी, तथा चर्चा के दौरान यह संज्ञान में आया कि नजूल भूमि उत्तराखण्ड परिवहन विभाग के नाम हस्तान्तरित करने विषयक शासनादेश संख्या-366/V-2011-13(N)/2010 आवास अनुभाग-1 दिनांक-4 अक्टूबर 2011 में नियत प्राविधानों के अर्न्तगत वित्त अनुभाग के शासनादेश संख्या 260/वित्त

अनुभाग-3/2002 दिनांक-15.02.2002 उत्तराखण्ड परिवहन विभाग को उनके अनुरोध के दृष्टिगत जिन शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, के बिन्दु संख्या-5 में स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रयोजन हेतु, किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। उक्त प्रकरण पर परिवहन निगम द्वारा CRS Infra Project Ltd के माध्यम से जो मानचित्र सहमति/अनापत्ति पत्र नहीं है।

अतः उपरोक्त के क्रम में उपाध्यक्ष जि०स्त०वि०प्रा० उधम सिंह नगर द्वारा सचिव आवास उत्तराखण्ड शासन देहरादून को पत्र संख्या-808/जि०वि०प्रा०-बस अड्डा/2018-19 दिनांक-18.02.2019 मार्ग दर्शन हेतु अनुरोध किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि सचिव, परिवहन विभाग को भी प्रेषित है। शासन से मार्ग दर्शन प्राप्त होने के उपरान्त मानचित्र निस्तारण हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:- सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा की गई, प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि शासनादेश संख्या:- 633/V-2011-13(N)/2010 दिनांक:- 04.10.2011 में उल्लेखित बिंदु संख्या 05 पर मार्गदर्शन हेतु शासन को प्रेषित पत्र के क्रम में मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तथा प्रकरण पर सैद्धांतिक स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदत्त की जाती है कि प्रोजेक्ट की **vibalty** को देखते हुए प्रस्तुत मानचित्र में मनोरंजन के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या:-1930 दिनांक:- 16.12.2011 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुरूप मानचित्र में सशर्त अनुमोदन दिया जाए तथा मल्टीप्लेक्स हेतु रुद्रपुर महायोजना के Zoning Regulation में अनुमन्य क्षेत्र के सम्बन्ध में शासन से अनुमति प्राप्त कर ली जाये। मल्टीप्लेक्स के सम्बंध में शासन की अनुमति होने पर ही M/s CRS Infra projects ltd द्वारा मल्टीप्लेक्स निर्माण हेतु कार्यवाही की जायेगी।

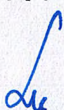
विषय क्रमोंक 04.17

काशीपुर बस अड्डे के पुनर्विकास के अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण तृतीय बोर्ड बैठक में उपस्थित जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत स्थल रेलवे लाईन के समीप है। इसके साथ ही उक्त बस अड्डे के सामने फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, ऐसी स्थिति में उक्त स्थल बस अड्डे के लिये उपयुक्त नहीं है। उक्त स्थान पर बसों का हॉल्ट बनाया जा सकता है। बस अड्डा विकसित शहरी क्षेत्र से बाहर ही बनाया जाना उचित होगा। उपरोक्त क्रम में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में जिलाधिकारी महोदय उधमसिंह नगर के सुझाव को दृष्टिगत रखते हुये, M/S CRS Infra Project Ltd के MD को अवगत कराया गया, परन्तु M/S CRS Infra Project Ltd द्वारा इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई संशोधित मानचित्र तथा परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का अद्यतन निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। M/S CRS Infra Project Ltd द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने, परीक्षण उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर विचार- विमर्श किया गया तथा उक्त प्रस्ताव पर जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा दिये गये सुझावानुसार बस अड्डे हेतु बाह्य क्षेत्र में नवीन स्थल चिन्हित



करने की कार्यवाही की जाय। संशोधित प्रस्ताव पर जिलाधिकारी द्वारा सहमति के उपरान्त ही प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रमांक:-4.18

कार्यालय भवन की साज-सज्जा एवं फर्नीचर तथा कार्यालय उपयोग हेतु कम्प्यूटर आदि में किये गये व्यय के सम्बन्ध में।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर की तृतीय बोर्ड बैठक के मद संख्या-3.12 में वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट का अनुमोदन किया गया था, जिसमें फर्नीचर एवं Fixtures, Machinery साज-सज्जा, उपकरण पर व्यय तथा शिविर कार्यालय हेतु 42,00,000.00 रु० व्यय किया जाना प्राविधानित था, तथा इसी बोर्ड बैठक के मद संख्या-3.15 में बोर्ड द्वारा उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर को कार्यालय भवन किराये पर लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया था। नवगठित जिला विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर के कार्यालय का संचालन विकास भवन परिसर, रुद्रपुर के प्रथम तल पर किया गया है। उक्त भवन में साज-सज्जा, टॉयलेट की व्यवस्था एवं रंगाई-पुताई में 13,75,000.00 रु० का खर्च होने हेतु अनुमोदन उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर द्वारा किया गया था। उक्त स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष मु०-12,32,000.00 रु० धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त काशीपुर क्षेत्रीय कार्यालय, खटीमा क्षेत्रीय कार्यालय में कय किये गये ए०सी०, कम्प्यूटर्स एवं फर्नीचर्स तथा मुख्यालय, रुद्रपुर में कम्प्यूटर आदि का भुगतान तथा उक्त कार्यालय के टैरिस पर कार्यालय कक्ष हेतु किये जा रहे निर्माण पर लगभग मु०-6,75,000.00 रु० का अवशेष भुगतान किया जाना है एवं शिविर कार्यालय पर कराये कार्यों का लगभग मु०-4,00,000.00 रु० का भुगतान किया जाना है। इसी प्रकार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर द्वारा अपने क्षेत्र में शुल्कों से सम्बन्धित नियमों की जानकारी एवं एकल समाधान योजना के प्रचार-प्रसार हेतु जगह-जगह लगाये गये बोर्डों, फलैक्सों, होर्डिंग, बैनरों, पम्पलेट्स आदि पर लगभग मु०-2,50,000.00 रु० का व्यय हुआ है, उनका भुगतान किया जाना है। इस प्रकार लगभग कुल 14,00,000.00 रु० भुगतान अवशेष हैं।

अतः उक्त कार्यों पर किये गये भुगतान एवं होने वाले भुगतान का प्रस्ताव बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 04.19-

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर में ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र एवं नियमावली का अनुमोदन के सम्बन्ध में।

नवगठित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में भविष्य में होने वाले विकास कार्यों के लिए प्राधिकरण स्तर से अभीतक कोई पंजिकृत ठेकेदार नहीं है, निकट भविष्य में अवस्थापना मद से विकास कार्यों को कराने का दायित्व विकास प्राधिकरण का है, मानचित्र/शमन शुल्क तथा भू-विभाजन शुल्क से प्राप्त होने वाली धनराशि में से विकास शुल्क 90 प्रतिशत, शमन शुल्क का 50, प्रतिशत उपविभाजन शुल्क 50 प्रतिशत, धनराशि अवस्थापना मद में जमा किया जायेगा तथा अवशेष धनराशि प्राधिकरण के खाते में प्राधिकरण कर्मचारी वेतन अन्य खर्चों के लिए जमा की जायेगी, वर्तमान समय में अवस्थापना के कार्यों को कराये जाने हेतु जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण रुद्रपुर उधम सिंह नगर में ठेकेदारों का पंजीकरण किया जाना आवश्यक है उक्त पंजीकरण/नवीनीकरण करने से प्राधिकरण की आय में भी वृद्धि होने की सम्भावना है, ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र व नियमावली तैयार की गयी है। उक्त नियमावली के अनुसार मंसूरी देहरादून व दून वैली विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण देहरादून/साढ़ा आदि में भी ठेकेदारों के पंजीकरण किये जाते रहे हैं।

अतः उपरोक्तानुसार ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण, प्रार्थना पत्र के प्रारूप का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से विचार उपरान्त अनुमति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 04.20-

किसी बड़े भूखण्ड के आंशिक भाग पर निर्माण किये जाने के फलस्वरूप आंशिक भाग हेतु उपविभाजन शुल्क आहरित करने के सम्बन्ध में विचार।

विकास प्राधिकरण के समक्ष मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी कुछ ऐसे प्रकरण आते हैं जिनमें आवेदनकर्ता एक काफी बड़े भूखण्ड का स्वामी होता है तथा वह इस भूखण्ड के छोटे से आंशिक भाग पर मानचित्र स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वीकृत करते समय वर्तमान में प्रचलित उपविभाजन शुल्क की गणना सम्पूर्ण भू-खण्ड क्षेत्रफल पर नियमानुसार की जाती है, जिसके विरुद्ध आवेदनकर्ता द्वारा इस आशय का प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है कि उसके द्वारा एक छोटे आंशिक भाग पर निर्माण किये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण भूखण्ड के क्षेत्रफल पर उप विभाजन शुल्क आहरित किया जाना शुल्क के अत्यधिक होने के कारण उचित नहीं है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में 150 वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्रफल तक के मिश्रित एकल इकाई (फुटकर दुकानें एवं आवास) तथा 250 वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्रफल तक के निजी उपयोग हेतु एकल आवासीय भवनों पर उप विभाजन शुल्क की छूट इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगी कि भविष्य में यदि प्रश्नगत भूखण्ड में उपरोक्त आच्छादित क्षेत्रफल के अतिरिक्त कोई विस्तार अथवा नव निर्माण किया जाता है तो समूचे भूखण्ड पर उप विभाजन शुल्क नियमानुसार किया जायेगा।

उक्त भू-खण्ड को काल्पनिक भू-खण्ड मानते हुए आंशिक क्षेत्रफल की गणना भवन उपविधि के अनुच्छेद 5.5.2 में भी हुई तालिका के आधार पर निर्मित भवन तालिका के आधार पर की जाएगी।

भू-आच्छादन (वर्गमीटर में)	अनुमन्य कुल सैटबैक (प्रतिशत में)
60 तक	35%
61-120 तक	40 %
121-165 तक	45 %
166 से अधिक	55 %

उपविभाजन हेतु आंशिक क्षेत्रफल की गणना, प्रस्तावित भू-आच्छादन में, उक्त सारणी के अनुसार अनुमन्य कुल सैटबैक क्षेत्रफल जोड़कर की जायेगी।

अतः काल्पनिक भू-खण्ड को मानते हुये Sub division चार्ज के रूप में लिए जाने वाला शुल्क कम होने से भी बड़े भू-खण्ड धारकों को अधिक शुल्क नहीं देना पड़ेगा, जिससे अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में भी मानचित्र प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे।

अतः प्रस्ताव है कि बड़े भू-खण्डों के आंशिक भाग पर भी मानचित्र स्वीकृति करने हेतु काल्पनिक भू-खण्ड के अनुसार मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हैं।



कार्यवाही:- सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन खण्ड , हल्द्वानी को प्रस्ताव परीक्षण हेतु प्रेषित किया जाय तदोपरान्त ही आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रम-04.21

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर में CA तथा मुख्य वित्त अधिकारी की नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही:-

1. निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर में लेखा सम्बन्धी कार्यों हेतु मुख्य कोषाधिकारी उधमसिंह नगर को कार्यों के निस्तारण हेतु नामित किया जाता है तथा उक्त का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये। उक्त के अतिरिक्त वित्तीय सत्र को ध्यान में रखते हुये प्राधिकरण के लेखा सम्बन्धी कार्यों तथा वार्षिक बैलेंस शीट आदि बनाने का कार्य किये जाने हेतु चार्टर्ड एकाउण्टेंट फर्म से अनुबन्ध सम्बन्धी कार्यवाही को नियमानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित हाने के कारण कार्यालय भवन का रास्ता उबड़-खाबड़ होने से आने जाने में परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुये उक्त रास्ते को पक्का किए जाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर के दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करा ली जाय।
3. संयुक्त सचिव क्षेत्रीय कार्यालय, काशीपुर द्वारा पूर्व का विनियमित क्षेत्र के भवन जो वर्तमान में प्राधिकरण की सम्पत्ति है पर अतिरिक्त निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई, तथा निर्णय लिया गया कि उक्त का मानचित्र तैयार कर उसकी डी0पी0आर0 बना कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाये।

अन्त में अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को धन्यवाद प्रदान करने के साथ बैठक विसर्जित की गयी।

उपाध्यक्ष
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उधमसिंहनगर।

आयुक्त/अध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उधमसिंहनगर।